प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन "प्रत्यक्ष कर" संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2017 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2) आज संसद के पटल पर रखी गई।

इस प्रतिवेदन में ₹ 3,760.10 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 463 लेखापरीक्षा मामलों के अतिरिक्त 'शेल कंपनियों/हवाला ऑपरेटरों द्वारा फर्जी बिक्री और खरीद' पर एक लंबा पैरा और ''आयकर निदेशालय (अवसंरचना) की कार्यपद्धति'' और केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण इकाई (सीपीसी), बैंगलुरू की अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।

प्रतिवेदन में प्रस्तुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- वि.व. 2014-15 की तुलना में वि.व. 2015-16 में प्रत्यक्ष कर में 6.6 प्रतिशत (₹ 46,220 करोड़) की वृद्धि हुई। तथापि, कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का शेयर वि.व. 2014-15 में 55.9 प्रतिशत से वि.व. 2015-16 में घट कर 51.0 प्रतिशत तक हो गया (पैराग्राफ 1.5.1)।
- वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष कर की समेकित वार्षिक विकास दर 10.7 प्रतिशत थी (पैराग्राफ 1.5.4)।
- वि.व. 2015-16 के दौरान निगम कर और आयकर का स्वैच्छिक अनुपालन वि.व. 2014-15 में 79.8 प्रतिशत की तुलना में 81.2 प्रतिशत था (पैराग्राफ 1.5.7)।
- विभाग ने निर्धारण के लिए देय कुल 7.05 लाख मामलों में से वि.व. 2015-16 में 3.39 लाख मामलों का निपटान किया (पैराग्राफ 1.8.1)।

- मांग की बकाया राशि में वि.व. 2014-15 में ₹ 7.00 लाख करोड़ से वि.व. 2015-16 में ₹ 8.24 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। विभाग ने दर्शाया कि वि.व. 2015-16 में मांग की बकाया राशि का 97.3 प्रतिशत से अधिक वसूल किया जाना मुश्किल है (पैराग्राफ 1.10.1 और 1.10.2)।
- आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपीलों में वि.व. 2014-15 में 2.32 लाख से वि.व. 2015-16 में 2.59 लाख तक वृद्धि हुई और इन मामलों में अवरूद्ध राशि ₹ 5.16 लाख करोड़ थी (पैराग्राफ 1.11.1)।
- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा किये गये अवलोकनों के आधार पर 2015-16 के दौरान ₹ 525.68 करोड़ की वसूली की (पैरा 2.4.1)।
- वि.व. 2015-16 में, ₹ 1230.72 करोड़ से जुड़े कर प्रभाव वाले 2,074 मामलेां में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु समय समाप्त हो गया था (पैराग्राफ 2.5.2)।
- ₹ 3,298.93 के कर प्रभाव से जुड़े निगम कर से संबंधित 320 उच्च मूल्य वाले मामलों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है (पैराग्राफ 3.1.1)।
- इस प्रतिवेदन में ₹ 461.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले संपत्ति कर के सात मामलों और आयकर से संबंधित 136 उच्च मूल्य वाले मामलों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है (पैराग्राफ 4.1.1)।
- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां संचालन वाहनों को किराए और पट्टे पर लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई थी। ये सभी कम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे (पैराग्राफ 6.6.3)।
- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां पट्टा विलेख का नवीनीकरण किए बिना पट्टे पर आवासीय व्यवस्था की जा रही थी (पैराग्राफ 6.6.5)।
- माँग/प्रतिदाय सूचना निर्धारण के लिए 'एएसटी' और 'सीपीसी' के बीच कोई सहसंबंध नहीं था। आयकर विवरणियों (आईटीआर) के प्रसंस्करण में निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूचना का प्रयोग नहीं किया गया और पिछले वर्षों के आईटीआर से कोई लिंकिंग नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक कटौती हुई (पैराग्राफ 7.8.4)।
- मूल सेवा करार (एमएसए) के अनुसार, सेवा प्रदाता आईटीआर सुधार अनुरोध के निपटान हेतु उत्तरदायी था जो आईटीआर के प्रसंस्करण के कार्यक्षेत्र का भाग था और आईटीआर सुधार हेतु अलग से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि

एमएसए का उल्लंघन करते हुये आईटीआर सुधार प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाता को ₹ 5.86 करोड़ का अनुचित भुगतान किया गया था (पैराग्राफ 7.9.3)।

- मासिक सेवा स्तर करार (एसएलए) मैट्रिक्स में पीक महीनों (अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर) और गैर-पीक महीनों (अप्रैल से जुलाई एवं नवम्बर से मार्च) के दौरान क्रमश: 5 लाख और 2.5 लाख आईटीआर के प्रसंस्करण का प्रावधान था। प्रसंस्कृत ई-विवरणियों की संख्या की रेंज गैर-पीक महीनों में 2.57 लाख (जुलाई 2012) से 51.31 लाख (दिसम्बर 2014) तथा पीक महीनों में 12.04 लाख (अगस्त 2012) से 30.41 लाख (अक्टूबर 2014) तक थी। यद्यपि, एसएलए में संशोधन नहीं किया गया और सेवा प्रदाता के निष्पादनों की तुलना लगातार मूल लक्ष्यों के प्रति की जाती रही (पैराग्राफ 7.9.4.2)।